फर्द अहकाम

(नियम 26)

अज अदालत–उपखण्ड अधिकारी जहाजपुर जिला शाहपुरा

रामचनद्र पिता गोकुल मीणा निवासी जालमपुरा

बनाम

रमेश पिता रामचन्द्र मीणा निवासी जालमपुरा वगैरह

किस्म मुकदमा प्रा. पत्र 111,128 एल.आर.ए

मुकदमा नंबर 466/2024

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स अज	नम्बर व तारीख अहकाम जो हुक्म की तामील में जारी हुये
28/05/2024	प्रार्थना पत्र सिगे से बाद जांच रिपोर्ट पेश हुआ। प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रार्थी ने जरिये अभिभाषक प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि मेरे एकल/संयुक्त खाते की भूमि में ग्राम जामोली प.ह. जामोली आराजी सं. 1058/1, 992/4, 992/8 कुल किता 03 रकबा 1.9425 हैक्टेयर भूमि स्थित है। अप्रार्थीगण उक्त वर्णित कृषि आराजी के पडौसी है। अप्रार्थीगण से सीमा विवाद होने के कारण पत्थरगढी करवाने जाने की आवश्यकता है, अतः उक्त आराजी की पत्थरगढी के आदेश प्रदान किये जावें। प्रार्थना पत्र की ताईद में प्रार्थी का शपथ पत्र संलग्न है। मैंने पत्रावली का अवलोकन किया सुयोग्य अभिभाषक/प्रार्थी की एक पक्षीय बहस सुनी। पत्रावली के साथ संलग्न नकल जमाबंदी 9 तक के अवलोकन से स्पष्ट है कि प्रार्थी पत्थरगढी हेतु आवेदन की गई भूमि का खातेदार है। प्रार्थी द्वारा अप्रार्थीगण के साथ सीमा विवाद होना बताया है, अतः न्यायलय पत्थरगढी किया जाना उचित समझता है। ग्राम जामोली प.ह. जामोली आराजी सं. 1058/1, 992/4, 992/8 कुल किता 03 रकबा 1.9425 हैक्टेयर भूमि की उभयपक्षों की उपस्थिती में पत्थरगढी करने हेतु भू–अभिलेख निरीक्षक **जहाजपुर** को कमीश्नर नियुक्त किया जाता है। कमीश्नर फीस 1000 रूपये तय किए जाते है जो प्रार्थी मौके पर अदा करेगा, उनमे से 200रू राजकोष में जमा करावे। **पत्थरगढी के दौरान किसी भी पक्ष के कब्जे को प्रभावित नहीं किया जावे।** पालना हेतु तहसीदार जहाजपुर को लिखा जावें। **तहसीलदार जहाजपुर को प्रतिवादीगणो को जरिये नोटिस /समन भेजकर उभयपक्ष की उपस्थित में पत्थरगढी के आदेश दिये जाते है।** पालना रिपोर्ट शीघ्र प्रस्तुत करें। आदेश आज दिनांक 28/05/2024 को खुलं न्यायालय में सुनाया गया। उपखण्ड अधिकारी जहाजपुर जिला शाहपुरा	

Scanned with OKEN Scanner

कार्यालय उपखण्ड अधिकारी जहाजपुर जिला शाहपुरा

कमांक / रीडर / 2024 / 464 / 2024 दिनांक— 28 / 05 / 2024

निमित्त—

तहसीलदार जहाजपुर

विषयः— प्र.स. 466/2024 रामचनद्र पिता गोकुल मीणा निवासी जालमपुरा, बनाम रमेश पिता रामचन्द्र मीणा निवासी जालमपुरा, मोहन पिता कल्याण रमेश पिता रामचन्द्र मीणा निवासी जालमपुरा, घनश्यात पिता देवबक्श खटीक निवासी जहाजंपुर, बाबू पिता देवबक्श खटीक पिवासी जहाजपुर, महावीर पिता देवबक्श खटीक निवासी जहाजपुर, ओम पिता देवबक्श खटीक निवासी निवासी जहाजपुर, संतोष देवी पत्नी रामदेव खटीक निवासी जहाजपुर, हकीम पिता बहादुर खां मुसलमान निवासी जहाजपुर, बन्शी हरिजन पिता भागीरथ हरिजन निवासी जहाजपुर, चेनी बाई पिता मोहन हरिजन खटीक निवासी जहाजपुर, मंगलराम पिता मोहन हरिजन निवासी जहाजपुर, रामस्वरूप पिता मोहन हरिजन निवासी जहाजपुर तहसीलदार जहाजपुर वगैरह की पत्थरगढी की पालना बाबत।

उपरोक्त विषयांकित उनवान के प्रकरण में ग्राम जामोली प.ह. जामोली आराजी सं. 1058 / 1, 992 / 4, 992 / 8 कुल किता 03 रकबा 1.9425 हैक्टेयर भूमि की उभयपक्षों की उपस्थिती में पत्थरगढी करने हेतु भू—अभिलेख निरीक्षक **जहाजपुर** को कमीश्नर नियुक्त किया जाता है। कमीशनर फीस 1000 रूपये तय किए जाते है जो प्रार्थी मौके पर अदा करेगा, उनमें से 200 रूपये राजकोष में जमा करावे। **पत्थरगडी के दौरान किसी भी पक्ष के कब्जे को प्रभावित नहीं किया जावें। तहसीलदार जहाजपुर को प्रतिवादीगणो को जरिये नोटिस/समन भेजकर उभयपक्ष की उपस्थिति में पत्थरगढी के आदेश दिये जाते है।** पालना रिपोर्ट 15 योम में पेश करे।

उपखण्ड अधिकारी
जहाजपुर जिला शाहपुरा

Scanned with OKEN Scanner